

डिप्टी बभुक्दमे इन्वादाई
 अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्यापकता सहिता
 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 पीतासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
 पत्र संख्या :- 416 / 2022

1. सतपाल पुत्र कृष्णचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 16, संगरिया तहसील संगरिया
 जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 2. कविता पत्नी अरुण बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 16, संगरिया तहसील
 संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम्

- वादीगण

- | | | |
|---|---|--|
| 1. जगदीश उर्फ जगदीश चन्द्र पुत्र मनफलराम | } | जाति समस्त जाट निवासीगण
बोलावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.) |
| 2. नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल | | |
| 3. भविष्य चौधरी पुत्र सज्जन कुमार | | |
| 4. भांगीलाल पुत्र रूपराम | | |
| 5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक नई धान मण्डी संगरिया | | |
| 6. पंजाब नैशनल बैंक शनि मन्दिर रोड संगरिया | | |
| 7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। | | |

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 04-04-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल शर्मा II वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई व संजय साहेवाल प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-

चक नं. 4 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 40/24 में कुल रकबा 6.969 है. में मौका पर कब्जा काशत की भूमि :-

- जगदीश पुत्र मनफूल, भविष्य चौधरी पुत्र सज्जनकुमार जाति जाट सा. बोलावाली प.नं. 175/165 मु.नं. 50 कि.नं. 11/0.240 है., 12ता14/0.253 है.प्र., 17 ता 19/0.253 है.प्र., 15/1/0.228, 15/2/0.025 है.गै.मु.खाला, 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.गै.मु.खाला, 20/0.215, 21/1/0.063 है. 21/2/0.076 है., 22/1/0.127, 25/1/0.228, प.नं. 175/166 मु.नं. 53 कि.नं. 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.गै.मु.खाला, 5/1/0.114 है., 5/3/0.013 है.गै.मु.खाला, कुल रकबा 3.353 है. नहरी मय गै.मु।
- सतपाल पुत्र कृष्णचन्द्र जाति बिश्नोई सा. संगरिया रहिन बदस्तुर प.नं. 176/162 मु.नं. 19 कि.नं. 18,19,22,23/0.253 है.प्र., 21/2/0.201 है. प.नं. 176/163 मु.नं. 34 कि.नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025 है.गै.मु.खाला कुल रकबा 1.466 है. नहरी मय गै.मु।

राकेश कुमार मीना
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

नोट :- विनोद कुमार पुत्र कृष्णचन्द्र 0.733 है, कृषि भूमि जमावन्दी खाता सं. 40/24 में
बैंक रिकॉर्ड है विनोद कुमार को फौत बताया है। विनोद कुमार के अन्य कोई वारिस नहीं
है। मौका पर कब्जा काश्त सतपाल पुत्र कृष्णचन्द्र का है।

कृष्णचन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल, मांगीलाल पुत्र रूपराम जाति जाट साकिन बोलावाली
मांगीलाल रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नई धान मण्डी संगरिया प.नं. 176/163 मु.नं.
34 कि.नं. 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है. गै.मु.खाला, 2/1/0.228 है., 2/2/0.025
है. गै.मु.खाला, 9 ता 11/0.253 है.प्र., 20/0.253 है. प.नं. 175/165 मु.नं. 50 कि.नं.
22/2/0.126 है., 23,24/0.253 है.प्र. कुल रकबा 2.150 है. नहरी मय गै.मु।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से
वादीगण को जावे। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट डिक्री का भाग रहेगा।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रथग्न आदेश आदि नहीं है तो
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में
अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन है तो रहन यथावत रखते
हुए अमल दरामद किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.04.2024 को
जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया